सं0-11/292/62-2-2014-14एम0आई0/97टीसी-।।

प्रेषक,

कुमार अरविन्द सिंह देव,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 10 फरवरी,2014

विषय- वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिला योजना (सामान्य व एस0सी0पी0) के अन्तर्गत उर्जीकरण एवं जल वितरण प्रणाली की बचत तथा डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना (राज्य सेक्टर सामान्य) में उपलब्ध बजट एवं डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना (राज्य सेक्टर एस0सी0पी0) में बजट उपलब्ध होने की प्रत्यासा के सापेक्ष नलकूपों के निर्माण में प्रयुक्त किये जाने हेतु 150एम0एम0, 175एम0एम0 एवं 200एम0एम0 यू0पी0वी0सी0 केसिंग पाइप (सी0एस0/सी0एम0 पाइप), तथा 150एम0एम0, यू0पी0वी0सी0 रिब्ड मीडियम वेल स्क्रीन पाइप (आर0एम0एस0 पाइप) के क्रय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-39/ल0सिं0/भ0आ0/म0ग0 न0-ग0बो0/2013-14, दिनांक 28;01;2014 एवं सं0-जी-41/ल0सिं0/भ0आ0/म0ग0 न0-ग0बो0/2013-14, दिनांक 05;02;2014 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा क्रय समिति की बैठक दिनांक 27;01;2014 में लिये गये निर्णय के क्रम में निम्नलिखित तालिका **(अ)** एवं **(ब)** के अनुसार पाइप क्रय किये जाने की प्रशासनिक स्वीक़ति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

http://shasanadesh.up.nic.in

rkfy dk%&¼v½

S. NO.	PARTICULAR OF PIPE	NAME OF THE FIRM HAVING MINIMUM RATE	REQUIRED QTY. AS PER AVAILABILITY OF BUDGET (METER)	BASIC RATE EX-WORKS (RS./M)	AVERAGE FREIGHT ANYWHERE IN U.P. UPTO CONSIGNEE STORE (RS./M)	F.O.R. DESTINATION RATES EXCLUDING EXCISE DUTY + CESS + VAT ETC (RS./M) (5)+(6)
1	2	3	4	5	6	7
1-	150 MM UPVC RMS PIPE	M/S TIRUPATI TUBES	645	656.60	16.00	672.60
2-	150 MM UPVC RMS PIPE	M/S APOLLO PIPES	645	656.60	16.00	672.60
3-	150 MM UPVC CM PIPE	M/S TIRUPATI TUBES	807	539.10	14.25	553.35
4-	200 MM UPVC CM PIPE	M/S SWASTIK TUBES	2253	940.00	26.20	966.20

rkfy dk%&¼c½

S. NO.	PARTICULAR OF PIPE	NAME OF THE FIRM HAVING MINIMUM RATE	REQUIRED QTY. AS PER AVAILABLE BUDGET (METER)	BASIC RATE EX-WORKS (RS./M)	AVERAGE FREIGHT ANYWHERE IN U.P. UPTO CONSIGNEE STORE (RS./M)	F.O.R. DESTINATION RATES EXCLUDING EXCISE DUTY + CESS + VAT ETC (RS./M) (5)+(6)
1	2	3	4	5	6	7
1-	150 MM UPVC CS PIPE	M/S TIRUPATI TUBES	5064	416.50	14.25	430.75
2-	150 MM UPVC RMS PIPE	M/S TIRUPATI TUBES	6429	656.60	16.00	672.60
3-	150 MM UPVC RMS PIPE	M/S APOLLO PIPES	6429	656.60	16.00	672.60
4-	175 MM UPVC CS PIPE	M/S SWASTIK TUBES	8112	581.90	18.00	599.90
5-	175 MM UPVC CS PIPE	M/S ASHISH PIPES	8115	581.90	18.00	599.90
6-	200 MM UPVC CS PIPE	M/S APOLLO PIPES	1245	731.85	24.00	755.85
7-	150 MM UPVC CM PIPE	M/S TIRUPATI TUBES	1074	539.10	14.25	553.35
8-	200 MM UPVC CM PIPE	M/S SWASTIK TUBES	3936	940.00	26.20	966.20

नोट:- उपर्युक्त ताकिका (अ) एवं (ब) के कालम-7 में दर्शायी गयी दरों के अतिरिक्त Excise Duty+Cess & VAT etc. तत्सयम प्रचलित दरों पर नियमानुसार अलग से देय होगा।:

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उघोग अनुभाग-7 के शासनादेश सं0-217एल /18-7-94-15(एस0पी0)/92, दिनांक 17-10-1994 एवं शासनादेश सं0-711/ 18-7-98-15(एस0पी0)/97, दिनांक 19-5-1998 में दी गयी व्यवस्थानुसार गठित क्रय समिति द्वारा संस्तुंति दे दी गयी है, वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिला योजना/राज्य सेक्टर द्वितीय छमाही (सामान्य व एस0सी0पी0) के अन्तर्गत प्राविधानित बजट के सापेक्ष लक्ष्यों के अनुसार 524 मध्यम गहरी एवं 130 गहरी बोरिंग अर्थात 654 बोरिंगों को पूर्ण करने हेतु 150एम0एम0, 175एम0एम0 एवं 200एम0एम0 यू0पी0वी0सी0 केसिंग पाइप (सी0एस0/ सी0एम0 पाइप), तथा 150एम0एम0, यू0पी0वी0सी0 रिब्ड मीडियम वेल स्क्रीन पाइप (आर0एम0एस0 पाइप) के क्रय की प्रशासनिक स्वीकृति उपर्युक्त तालिका **(अ)** एवं **(ब)** में उल्लिखित विवरणानुसार श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

<u>शर्ते/प्रतिबन्ध</u>

(1) उक्त सामग्री का क्रय धन उपलब्धता सुनिश्चित होने के बाद ही किया जाय।

(2) उपर्युक्त सभी पाइप का क्रय टेण्डर प्रपत्र में उल्लिखित निर्धारित विशिष्टियों एवं मानकों के अनुरूप ही किया जायेगा।

(3) उपर्युक्त पाइप का नियमानुसार भुगतान जिला योजना में मध्यम गहरे एवं गहरे नलकूपों के निर्माण तथा सामूहिक नलकूप योजना (सामान्य/एस0सी0पी0) से उपलब्ध धनराशि से ही किया जायेगा।

(4) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई सम्पूर्ण आपूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा निविदा आमंत्रण, निविदा शर्तो का निर्धारण व स्वीकृत दरों एवं स्वीकृत आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में समस्त उत्तरदायित्व मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई का होगा।

(5) जो भी मात्रा या आकंलन मुख्य अभियंता के द्वारा प्रेषित किया गया है, उसके आंकलन का उत्तरदायित्व भी मुख्य अभियंता का होगा। वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में अनावश्यक क्रय न किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) जो भी क्रय किया जाय वह स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष किया जाय। मुख्य अभियंता द्वारा जो बचत सूचित किया गया है, उसके आकंलन के संबंध में मुख्य अभियंता ही उत्तरदायी होगें।

(7) उघोग विभाग के शासनादेश सं0-2177एल/18-7-94-15(एस0पी0) /92ख् दिनांक 17-10-1994 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत पाइप का क्रय, सामग्री क्रय नियमों के अनुसार है और प्रस्तावित पाइप उघोग निदेशालय, कानपुर द्वारा निर्णीत किये गये किसी दर अनुबन्ध के अन्तर्गत नही आता है।

(8) टेण्डर डाक्यूमेन्ट में उल्लिखित सभी प्राविधान फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के वैल्यूम-5, भाग-1 में उल्लिखित नियमों तथा टेण्डर संबंधी अन्य नियमों के अन्तर्गत है। क्रय समिति का गठन उघोग विभाग के शासनादेश के अनुकूल है तथा क्रय हेतु वांछित पर्याप्त धनराशि बजट में उपलब्ध है।

(9) प्रस्तावित पाइप की मात्रा निविदित सीमा के अन्तर्गत है और निविदा की शर्तो के अनुसार है।

3- उक्त शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अक्षरश: एवं कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई का होगा।

भवदीय,

ह0/

(कुमार अरविन्द सिंह देव)

प्रमुख सचिव।

<u>सं0-292(1)/62-2-2014,तददिनांक:-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0 प्र0 शासन।

2- प्रमुख सचिव, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उघम अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।

3- सचिव, लघु उघोग, उ0 प्र0 शासन।

4- उघोग निदेशक, (सामग्री क्रय अनुभाग) उ0 प्र0 कानपुर।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in